म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसरंचना विकास मण्डल,
प्रधान कार्यालय,पर्यावास भवन, मदर टेरेसा मार्ग, भोपाल

क्रमांक / 736 / का.प्र.1 / मण्डल / 2018 भोपाल, दिनाक 20/8/18

प्रति,

1/ अपर आयुक्त (1/2) .
म.प्र.गृह.निर्माण एवं अधोसरंचना विकास मण्डल
मुख्यालय भोपाल

2/ वि.स एवं मुख्य लेखा अधिकारी/मुख्य अंकेक्षण अधिकारी/ मुख्य संपदा अधिकारी
मुख्य वास्तुविद/मुख्य सतर्कता अधिकारी सह मुख्य विधिक सलाहकार/
मुख्य सूचना प्रौधोगिक अधिकारी/भू– प्रबंधन अधिकारी/ जनसपंर्क अधिकारी
म.प्र.गृह.निर्माण एवं अधोसरंचना विकास मण्डल मुख्यालय भोपाल

3/ उपायुक्त .
म.प्र.गृह.निर्माण एवं अधोसरंचना विकास मण्डल
वृत्त...............................

4/ कार्यपालन यंत्री
म.प्र.गृह.निर्माण एवं अधोसरंचना विकास मण्डल
संभाग..............................

5/ संपदा अधिकारी
म.प्र.गृह.निर्माण एवं अधोसरंचना विकास मण्डल
प्रक्षेत्र....................

विषयः– सातवें वेतनमान में कार्मिको का वेतन निर्धारण के संबंध में।

म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक एफ–7–14/2018/18–6 भोपाल दिनांक 04.08.2018 के परिप्रेक्ष्य में आदेश क्रमांक जी– 137 दिनांक .08.08.2018 द्वारा म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसरंचना विकास मण्डल के कार्मिकों को सातवे वेतनमान की स्वीकृत प्रदान की गई है।

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–8–1/2016 /नियम/चार भोपाल दिनांक 20 जुलाई 2017 एवं मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ–8–1/2016/नियम/चार दिनांक 22 जुलाई 2017 मे मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम –2017 के अनुसार वेतन निर्धारण किया जाना है। विकल्प का प्रारूप, वेतन नियतन प्रत्रक,वचन –पत्र प्रतिभूति का प्रारूप संलग्न है।

वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार वेतन निर्धारण कर वेतन निर्धारण का अनुमोदन मुख्य अंकेक्षण अधिकारी से किया जाना होगा।

वित्त विभाग के उक्त आदेश एवं दिशा निर्देश मण्डल की बेवसाईट पर भी उपलब्ध है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(अजय श्रीवास्तव)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
म.प्र.गृह निमार्ण एवं अधोसरंचना विकास
मण्डल भोपाल

दूसरी अनुसूची

विकल्प का प्ररूप
(नियम 6 देखें)

*(i)मै---दिनांक 01 जनवरी, **2016** से लागू संशोधित वेतन ढांचे का चयन करता हूँ / करती हूँ ।

अथवा

*(ii)मैं--------------------------------------अपने मूल/स्थानापन्न पद के वेतन **बैंड और ग्रेड** वेतन में निम्नानुसार आगे भी बने रहने के विकल्प का चयन करता/करती हूँ जब तक कि:-

*मेरी अगली वेतन वृद्धि की दिनांक, या

*मेरी बाद की वेतनवृद्धि की दिनांक जिससे मेरे वेतन ----- रूपये हो जाए, या

*मैं, मोजूदा वेतन बेण्ड में वेतन लेना बंद कर दूं/छोड़ दूं, या

*--------------------------------के पद पर मेरा पदोन्नति/उन्नयन की तारीख तक बने **रहने तक।**

विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन ---------------------------

दिनांक---------------------
स्थान-----------------------

*यदि लागू न हो तो काट दिया जाए

हस्ताक्षर---------------------
नाम-------------------------
पदनाम-----------------------
कार्यरत कार्यालय का नाम------------

कार्यालय में विकल्प प्राप्त होने की दिनांक-----------------

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर पदमुद्रा **सहित**

प्रपत्र-एक

मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अंतर्गत वेतन नियतन पत्रक

1.	शासकीय सेवक का नाम	------------------
2.	पदनाम जिस पर वेतन निर्धारण किया जाना है	------------------
3.	स्थायी / स्थानापन्न	------------------
4.	नियम 6 के अंतर्गत विकल्प के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन नियतन का दिनांक	------------------
5.	विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	------------------
6.	विद्यमान मूल वेतन	
7.	विद्यमान परिलब्धियां :-	
	(अ) मूल वेतन	------------------
	(ब) मूल वेतन पर दिनांक 1-1-2016 से लागू मंहगाई भत्ता	------------------
	(अ + ब)	
8.	अनुक्रमांक 5 में दर्शित वेतन बैंड ओर ग्रेड वेतन के अनुरूपी वेतन मैट्रिक्स और उसमें विनिर्दिष्ट लेवल	------------------
9.	अनुक्रमांक 6 में दर्शित मूल वेतन को 2.57 से गुणा करने पर प्राप्त राशि (निकटतम रूपये में पूर्णांकित)	------------------
10.	प्रयोज्य लेवल में अनुक्रमांक 9 पर प्राप्त राशि के समान अथवा उससे ठीक उच्चतर कोष्टिका की राशि	------------------
11.	पुनरीक्षित मूल वेतन (अनुक्रमांक 10 के अनुरूप)	------------------

३✓

12. नियम 7(5) एवं 7(7) के अन्तर्गत के अन्तर्गत कनिष्ट शासकीय सेवक के सन्दर्भ में की गई वृद्धि के फलस्वरूप वेतन (कनिष्ट कर्मचारी का नाम एवं वेतन अंकित किया जाए) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. नियम 7 (8) के संदर्भ में स्थायी वेतन से स्थानापन्न वेतन कम होने पर पुनरीक्षित वेतन (यदि लागू हो) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. वेतन निर्धारण के उपरान्त पुनरीक्षित परिलब्धियाँ -
(अ) मूल वेतन
(ब) व्यक्तिगत वेतन, यदि पात्रता हो योग
(अ + ब)

15. आगामी वेतन वृद्धि की तिथि -

16. आगामी वेतन वृद्धि के बाद वेतन -

17. अन्य जानकारी -

स्थान . . . .
दिनांक. . . . .

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर
एवं सील

प्रपत्र-तीन

वचन पत्र (Undertaking)

मुझे यह ज्ञात है कि दिनांक 01-01-2016 से स्वीकृत मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत मेरा जो वेतन नियतन अभी पुनरीक्षित वेतन मेट्रिक्स में किया गया है वह अनन्तिम (Provisional) है । मैं वचन देता/देती हूँ कि मैं राज्य शासन को वह संपूर्ण राशि जो कि वेतन नियतन में अनियमितता के कारण तथा अन्य कोई भी धनराशि जो कि इस प्रकार वेतन नियतन के कारण मुझे अधिक भुगतान की गई है, शासन के निर्देशों के अनुरूप निर्धारित राशि वापस करूंगा/करूंगी तथा इस प्रकार की राशि मेरे देय स्वत्वों से जिनमें- पेंशन, ग्रेच्युटी एवं अवकाश नगदीकरण की राशि भी सम्मिलित है, काटी जा सकेगी । मैं यह भी वचन देता/देती हूँ कि यदि उक्तानुसार मेरे द्वारा देय राशि को मैं लौटाने में असमर्थ रहता/रहती हूँ, तो इस देय राशि की वापसी के लिए मैं अपने उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रतिनिधियों ओर समनुदेशितियों को आबद्ध करता/करती हूँ । मैं यह भी सहमति देता/देती हूँ कि मेरे द्वारा देय राशि मुझसे राजस्व की बकाया के रूप में वसूल कर ली जाए ।

साक्षी	हस्ताक्षर शासकीय कर्मचारी
हस्ताक्षर	पदनाम
पता-	स्थान
दिनांक	दिनांक

प्रपत्र-चार

प्रतिभूति का प्ररूप

श्री/श्रीमती/कुमारी - पदनाम - - - - - - - कार्यालय - को मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन मेट्रिक्स में वेतन नियतन होने के कारण दिनांक - - - - - - - - - -से दिनांक - - - - - - - - तक ₹- - - - - - - - - (शब्दों में) ₹- की अवशेष राशि (एरियर) का भुगतान किया जा रहा है ।

हम श्री/श्रीमती/कुमारी - एवं श्री/श्रीमती/कुमारी - कार्यालय - - - - की स्थापना के स्थाई शासकीय सेवक हैं तथा क्रमशः वेतन राशि ₹- - - - - - - - - (शब्दों में) ₹- प्रतिमाह आहरण करते हुए श्री/श्रीमती/कुमारी - को प्रतिभू होने के लिए यह सहमति प्रदान करते हैं कि यदि श्री/श्रीमती/कुमारी - - - - - - - - - - - - - - - - - - को उपरोक्तानुसार एरियर्स का भुगतान होने जा रहा है, उसमें यदि शासन के नियम के अनुरूप अधिक भुगतान होना पाया जाता है, एवं उक्त शासकीय सेवक अधिक भुगतान की गई राशि को लौटाने में असमर्थ हैं तो हम उसका भुगतान करेगें और हम स्वयं को अपने उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रतिनिधियों और समनुदेशतियों को इस प्रकार के भुगतान हेतु आबद्ध करते हैं । हम यह भी सहमति देते हैं कि हमारे द्वारा देय राशि हम दोनों से संयुक्त रूप से या अलग-अलग भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल कर ली जाए ।

आज दिनांक 22 माह जुलाई सन् 2017 को हस्ताक्षरित किया गया ।

साक्षी :-
हस्ताक्षर

1 - - - - - - - - - - - - - -	1. प्रतिभू के हस्ताक्षर
नाम	नाम व पदनाम - - - - - - - - - - - -
पदनाम	
2 - - - - - - - - - - - - - -	2. प्रतिभू के हस्ताक्षर
नाम	नाम व पदनाम - - - - - - - - - - - -
पदनाम	

प्रतिहस्ताक्षरित

नाम - - - - - - - - - - -

(कार्यालय प्रमुख)

(X) जो लागू न हो उसे काट दीजिए

ঌ

परिशिष्ट

प्रपत्र

विषय :- दिनांक 01-01-2016 से 20-7-2017 के मध्य संशोधित वेतन संरचना मे एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड मे पदोन्नति, क्रमोन्नति या समयमान दिये जाने की स्थिति में वेतन निर्धारण के लिये विकल्प।

...0...

कार्यालयीन आदेश क्रमांक .... दिनांक .... द्वारा पदोन्नति/क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान दिये जाने के फलस्वरूप संशोधित वेतन संरचना मे उच्च लेवल में वेतन निर्धारण के लिए निम्नानुसार विकल्प प्रस्तुत है :-

(क) संशोधित वेतन संरचना में निचले लेवल मे वेतन वृद्धि प्राप्त कर लेने के बाद उच्च लेवल में मेरा प्रारंभिक वेतन निर्धारित किया जाएं।

अथवा

(ख) पदोन्नति/क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान दिये जाने की दिनांक संशोधित वेतन संरचना मे उच्च लेवल मे मेरा वेतन पुर्नीर्धारित कर दिया जाए।

हस्ताक्षर
नाम ....
पदनाम ....
विभाग ....

प्रतिहस्ताक्षर

कार्यालय प्रमुख
पदमुद्रा सहित

Rule-192